प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव /सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 लखनऊ दिनांक 13 मई, 2013

विषय:— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—4(1)(ब) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—4(1)(ब) के अंतर्गत स्व प्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं को प्रकट किया जाना विधिक बाध्यता है तथा धारा—4(2) तथा धारा—4(3) में इन सूचनाओं के प्रकट किये जाने की विधि का उल्लेख है। धारा—4 के अंतर्गत स्व प्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जन सामान्य में आधिक से अधिक सूचनाओं को रखना है तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थनापत्रों को कम करना है।

2— भारत सरकार द्वारा स्व प्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं की गुणवत्ता तथा मात्रा वांछित स्तर तक नहीं पाई गई तथा यह अनुभव किया गया कि धारा—4 के कमजोर कार्यान्वयन का कारण कुछ प्रावधानों का विस्तृत रूप से वर्णित न होना है तथा कुछ प्रावधानों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका की आवश्यकता है।

...............2/—
3— उपरोक्त के संबंध में भारत सरकार द्वारा मई, 2011 में एक टास्क फोर्स गठित की गई। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा—4 के अंतर्गत र्व प्रेषण से घोषित की जाने वाली सूचनाओं हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई जो कि www.rtifoundationofindia.com/dopt-circular-2013-3020 वेबसाइट पर No. 1/6/2011-IR, Dated 15th April, 2013 में उपलब्ध है। मार्गदर्शिका निम्न विषयों पर जारी की गई हैं—

(i) धारा—4 के अंतर्गत अधिक से अधिक र्व प्रेषण से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का प्रकटन।
(ii) धारा—4 के अंतर्गत र्व प्रेषण से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का डिजिटल प्रकाशन।
(iii) धारा—4(1)(बी) (iii), 4(1)(बी) (iv), 4(1)(बी)(xi) तथा 4(1)(बी)(xiv) के संबंध में विस्तृत उल्लेख करना।
(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत र्व प्रेषण से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का अनुपालन किया जाना।

अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया धारा—4 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई उक्त मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रभाद कुमार सारंगी)

प्रमुख सचिव।